आदेश व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 206/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

सुप्रीम हाउसिंग फाईनेंश लिमिटेड पता–द्वितीय तल, हर्ष भवन, 13/29, ई ब्लॉक, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मेवाराम पुत्र श्री घीसा,
2. श्रीमती कमली पत्नी श्री मेवाराम,
   पता :– वार्ड नं. 5, टेका की ढाणी, ग्राम पापड़ी, विराटनगर, जिला जयपुर।
3. श्री जयराम,
   पता:– वार्ड नं. 10, शिव मंदिर के पास, विराटनगर, जिला जयपुर।
4. श्री अमित शर्मा
   पता :– धरा मोड़, शिव मंदिर के पास, विराटनगर, जिला जयुपर।
5. श्री विक्रम सिह गुर्जर पुत्र श्री मेवाराम गुर्जर,
   पता :– वार्ड नं. 5, बीजक रोड़, टेका की ढाणी, ग्राम पापड़ी, विराटनगर, जिला जयपुर।
6. श्री पूरण मल गुर्जर पुत्र श्री मेवाराम गुर्जर,
   पता :– वार्ड नं. 5, टेका की ढाणी, ग्राम पापड़ी, विराटनगर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) • जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.01.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मेवाराम के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट/खसरा नम्बर 1343/1234, 1344/1234, 1345/1234, ग्राम पापड़ी, विराटनगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 388.89 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 10,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को राशि 10,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 13,17,610/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मेवाराम के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट/खसरा नम्बर 1343/1234, 1344/1234, 1345/1234, ग्राम पापड़ी, विराटनगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 388.89 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/05/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर